न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 83/2024(GCMS : 2024/117)**

आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेंस लिमिटेड एवं पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय–आई.सी.आई.सी.आई. बैंक टावर, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स, मुम्बई–400051 तथा शाखा कार्यालय–श्रीगंगानगर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राहुल व्यास

बनाम

1. **विजय कुमार अग्रवाल** पुत्र श्री पुरूषोतम दास अग्रवाल, निवासी पता 111 शिव कॉलोनी, गली नं. 03, वार्ड नं. 38, जिला श्रीगंगानगर

   एवं

   सम्पत्ति पता – पट्टा नं. 1035, चक 3 ई छोटी, एम नं.18/19, किला नं. 23 व पट्टा नं. 2046 किला नं. 23, श्रीगंगानगर
2. **निशा अग्रवाल** पत्नी श्री विजय कुमार अग्रवाल निवास पता 111 शिव कॉलोनी, गली नं. 03, वार्ड नं. 38, जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.09.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अधिवक्ता सुश्री किरन कुमारी उपस्थित हुई और निवेदन किया कि प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. होम फाईनेंस लिमिटेड ने अप्रार्थीगण विजय कुमार अग्रवाल एवं निशा अग्रवाल द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक/कम्पनी ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी की आवासीय सम्पत्ति पट्टा नं. 1035, चक 3 ई छोटी, एम नं. 18/19, किला नं. 23 व पट्टा नं. 246, किला नं. 23 श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.2024 को प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ऋणी के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रेस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:16:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 05.06.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. होम फाईनेंस लिमिटेड द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण विजय कुमार अग्रवाल एवं निशा अग्रवाल के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी विजय कुमार अग्रवाल की सम्पत्ति पट्टा नं. 1035, चक 3 ई छोटी, एम नं. 18/19, किला नं. 23 व पट्टा नं. 246, किला नं. 23 श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक/कम्पनी इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने इस आश्य का अंकन फर्द अहकाम के हाशियें पर किया है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. होम फाईनेंस लिमिटेड द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक/कम्पनी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकबंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:16:06 IST
Reason: SelfAttested